भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1421

(30 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत परिवारों द्वारा कार्य पूर्ण किया जाना

1421. डॉ. एल. हनुमंतय्या:
श्री शक्तिसिंह गोहिल:
श्री राजमणि पटेल:
श्री आनन्द शर्मा:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अप्रैल-जून, 2021 के महीनों में कर्नाटक सहित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कुल कितने परिवारों ने 100 दिनों का कार्य पूर्ण किया है;

(ख) वर्ष 2020 में इसी अवधि के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत कितने परिवारों ने 100 दिनों का कार्य पूर्ण किया है;

(ग) क्या वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के बीच ऐसे परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है जिन्होंने निर्धारित 100 दिनों का काम पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार काम की अधिक मांग को देखते हुए निर्धारित दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की मंशा रखती है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) : अप्रैल से जून - माह 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत कर्नाटक सहित कुल 3,91,112 परिवारों ने 100 दिनों का कार्य पूर्ण किया है। अप्रैल से जून माह 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में 2372 परिवारों ने 100 दिनों का कार्य पूर्ण किया है।

(ख): अप्रैल से जून - माह 2020 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत कुल 3,18,532 परिवारों ने 100 दिनों का कार्य पूर्ण किया है।

(ग): वर्ष 2020 और 2021 के मध्य महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिनों का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

	अप्रैल-जून 2020	अप्रैल-जून 2021	वृद्धि प्रतिशत
परिवार	318532	391112	22.78%

स्त्रोत: सूचना प्रबंधन प्रणाली

(घ) और (ङ): महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में स्वेच्छा से अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य 100 दिनों से अधिक अतिरिक्त श्रम दिवस स्वंय के संसाधनों से प्रदान कर सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुशंसा पर देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों में 100 दिनों से अधिक 50 अतिरिक्त दिनों का श्रम रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रम दिवसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

******

राज्य सभा में दिनांक 28.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल-जून के दौरान 100 दिनों का कार्य करने वाले परिवार	
		2020	2021
1	अण□मान और निकोबार	9	0
2	आंध्र प्रदेश	105831	172734
3	अरुणाचल प्रदेश	2	0
4	असम	244	724
5	बिहार	868	1409
6	छत्तीसग□	62646	19744
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	2489	7724
9	हरियाणा	140	179
10	हिमाचल प्रदेश	270	410
11	जम्मू और कश्मीर	106	32
12	झारखं□	621	3193
13	कर्नाटक	2833	2372
14	केरल	48	69
15	लद्दाख	5	0
16	लक्षद्वीप	0	0
17	मध्य प्रदेश	7466	24500
18	महाराष्ट्र	18046	16697
19	मणिपुर	0	0
20	मेघालय	215	77
21	मिजोरम	0	0
22	नागालैं□	0	0
23	ओ□शा	11101	33089
24	पुदुचेरी	0	0
25	पंजाब	5	529
26	राजस्थान	1367	1769
27	सिक्किम	26	57
28	तमिलना□	32	194
29	तेलंगाना	80813	100106
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
31	त्रिपुरा	69	177
32	उत्तर प्रदेश	5071	1159
33	उत्तराखं□	459	347
34	पश्चिम बंगाल	17750	3821
	कुल	318532	391112

स्त्रोत: सूचना प्रबंधन प्रणाली